

अध्याय VIII: पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय

नोर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड

8.1 परिचालन निष्पादन

8.1.1 प्रस्तावना

नोर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (कम्पनी) को मार्च 1982 में भारत सरकार (जीओआई) उद्यम में सम्मिलित किया गया। कम्पनी, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (मंत्रालय) के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है। कम्पनी का गुवाहटी में अपना कॉरपोरेट कार्यालय, नोर्थ-ईस्टर्न क्षेत्र में आठ जोनल कार्यालय¹ तथा तीन प्रसंस्करण यूनिट² हैं। कम्पनी के प्राथमिक उद्देश्य उत्तर-पूर्व के किसानों/उत्पादकों की उनके उत्पाद हेतु लाभकारी मूल्य प्राप्त करने में सहायता करना है जिससे किसानों तथा बाजार के बीच अन्तर पूरा हो तथा भारत में पूर्वोत्तर क्षेत्र की उपज, खरीद, प्रसंस्करण तथा विपणन बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाना है।

8.1.1.2 कम्पनी को औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण (बीआईएफआर) हेतु बोर्ड को भेजा गया (दिसम्बर 1996)। बीआईएफआर के निर्देशों पर, भारत सरकार ने कम्पनी के लिए एक पुनरुत्थान योजना को मंजूरी दी (फरवरी 1999) जिसे जून 1999 में बीआईएफआर द्वारा स्वीकृत किया गया। 31 मार्च 2013 को समाप्त पिछले तीन वर्षों के दौरान कम्पनी का वित्तीय निष्पादन नीचे दर्शाए अनुसार था:

(₹ करोड़ में)

विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
प्रदत्त पूँजी	7.62	7.62	7.62	7.62
संचित हानि	6.29	4.81	3.81	6.63
निवल धन	0.86	2.33	3.46	0.66
नकद और बैंक शेष	5.40	5.48	5.92	5.73
बिक्री	89.65	99.91	96.04	43.71
कर के बाद लाभ	1.12	1.47	1.00	(2.82)

स्रोत: कम्पनी के वार्षिक लेखें

¹ असम, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड तथा अरुणाचल प्रदेश में 8 जोनल कार्यालय

² फ्रूट जूस कन्सट्रेट प्लांट, त्रिपुरा; कैशू, प्रोसेसिंग यूनिट, त्रिपुरा; तथा जिन्जर प्रोसेसिंग प्लांट, मेघालय

8.1.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा यह निर्धारण करने हेतु की गई कि:

- बीआईएफआर के निर्देश तथा पुनरूत्थान योजना के प्रावधान का कम्पनी/भारत सरकार द्वारा अनुपालन किया गया;
- कम्पनी अपने अनिवार्य कार्यों को करने के लिए भारत सरकार से आवश्यक वित्तीय सहायता प्राप्त करने में सक्षम थी; तथा
- कम्पनी ने किसानों को विपणन सहायता उपलब्ध कराने के अपने मुख्य उद्देश्य को प्राप्त करने के विचार से अपने कार्य किए।

8.1.3 लेखापरीक्षा मानदण्ड के स्रोत

- कम्पनी की अपनी विपणन गतिविधियों से संबंधित नीतियां तथा दिशा-निर्देश।
- प्रशासनिक मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन तथा योजना कार्यान्वयन रिपोर्ट।
- कॉरपोरेट योजना, अध्ययन रिपोर्ट, कम्पनी के निदेशक बोर्ड के निर्देश।
- विक्रय अनुबंध के नियम तथा शर्तें।

8.1.4 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र

लेखापरीक्षा ने बीआईएफआर की पुनरूत्थान योजना के कार्यान्वयन तथा 2009-10 से 2011-12 की समयावधि के दौरान कम्पनी द्वारा किए गए विपणन तथा प्रसंस्करण कार्यों की समीक्षा की। वर्ष 2012-13 के लिए लेखापरीक्षा अवलोकनों को अद्यतित किया गया है।

8.1.5 लेखापरीक्षा जांच परिणाम

8.1.5.1 बीआईएफआर निर्देशों का अनुपालन न होना

व्यवसायिक प्रबंधन तथा ढांचागत सुविधाओं के अभाव, संयंत्र की कम क्षमता उपयोग आदि जैसे विभिन्न कारकों के कारण आरम्भ से कम्पनी का प्रदर्शन असंतोषजनक था। कम्पनी ने मार्च 1996 तक ₹ 12.74 करोड़ हानि संचित की थी तथा इसे दिसम्बर 1996 में बीआईएफआर को भेजा गया। कम्पनी के पुनरूत्थान की योजना को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया (फरवरी 1999) गया जिसे बीआईएफआर द्वारा पूँजीगत तथा अन्य व्यय हेतु ₹ 16.34 करोड़ की नकद सहायता तथा कम्पनी के वित्तीय पुनर्गठन हेतु

₹ 16.34 करोड़ की गैर-नकदी सहायता सहित ₹ 26.70 करोड़ की लागत को मंजूरी दी गई (जून 1999)। कम्पनी/भारत सरकार ने पुनरुत्थान योजना के प्रावधानों तथा बीआईएफआर के तत्कालिक निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जैसाकि नीचे वर्णित है:

8.1.5.2 पुनरुत्थान योजना के कार्यान्वयन में कमियां

कम्पनी द्वारा पुनरुत्थान योजना के कार्यान्वयन में निम्नलिखित कमियां थीं:

- (i) पाइनेपल जूस कन्संट्रेट (पीजेसी) प्लांट, नालकता, त्रिपुरा में पूंजीगत व्यय हेतु भारत सरकार द्वारा दी गई राशि (₹ 4.22 करोड़) में से, कम्पनी ने केवल ₹ 0.45 करोड़ का उपयोग किया। ₹ 3.77 करोड़ की शेष राशि को कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने तथा कम क्षमता उपयोग के कारण वहन की गई नकद हानि के लिए लगाया गया। इसके परिणामस्वरूप, कम्पनी पीजेसी प्लांट का उन्नयन नहीं कर सकी जिससे 2002-03 से 2010-11 की समयावधि के दौरान ₹ 3.71 करोड़ तक संचित हानि में वृद्धि जारी रही जिसके बाद इसे पुनर्गठन जिसे अभी किया जाना है (सितम्बर 2013), हेतु बंद कर दिया (मई 2011) गया।
- (ii) कम्पनी ने कैशू प्रोसेसिंग यूनिट (सीपीयू), त्रिपुरा में पूंजी व्यय हेतु भारत सरकार द्वारा दी गई राशि (₹ 19 लाख) का उपयोग नहीं किया तथा इसे नकद हानि और कार्यशील पूंजीगत आवश्यकताओं को पूरा करने में लगाया। परिणामस्वरूप, कम्पनी बीआईएफआर योजना में परिकल्पित रूप में सीपीयू क्षमता को 0.5 एमटी प्रति दिन से 2.5 एमटी प्रतिदिन तक नहीं बढ़ा सकी।

कम्पनी ने कहा (सितम्बर 2013) कि विद्रोही समस्याओं के कारण, पीजेसी प्लांट में कम से कम निवेश करने का निर्णय लिया गया ताकि प्लांट को केवल दिन की शिफ्ट में चलाया जा सके। सीपीयू के संदर्भ में, उनके पास इसे एक नए स्थान पर स्थानांतरित करने का विचार था। तथापि, इसे स्थान की अनुपलब्धता के कारण नहीं किया जा सका।

हालांकि, कम्पनी के निर्णयों ने स्वीकृत पुनरुत्थान योजना के प्रावधानों का उल्लंघन किया। पुनरुत्थान योजना ने परिकल्पित किया कि कम्पनी को वर्ष 1999-2000 तक हानियां उठानी होंगी तथा इसे 2003-04 के दौरान हटा दिया जाएगा। तथापि, कम्पनी ने 2006-07 तक हानियों को वहन किया तथा उसके पश्चात् 2007-08 से 2011-12 के दौरान अत्यल्प लाभ उपार्जित किए परन्तु वह इसकी संचित हानि को घटाने में सक्षम नहीं थी जो 31 मार्च 2013 तक ₹ 6.63 करोड़ रही।

8.1.5.3 सलाहकार की सिफारिशों को क्रियान्वित न करना

बीआईएफभार ने कम्पनी को इसके दायरे से उन्मुक्त कर दिया (अगस्त 2001) क्योंकि कम्पनी का निवल धन 31 मार्च 2001 से धनात्मक हो गया था। तथापि, बीआईएफआर ने निर्देश दिए (अगस्त 2001) कि कम्पनी तथा प्रशासनिक मंत्रालय को कम्पनी द्वारा उठाई निरन्तर हानियों के लिए कारकों पर ध्यान देना चाहिए तथा उपयुक्त कार्रवाई करनी चाहिए। तदनुसार, प्रशासनिक मंत्रालय ने मै. ए. एफ. फर्ग्यूसन एवं कॉरपोरेशन, कोलकाता (सलाहकार) को कम्पनी के प्रतिवर्तन हेतु एक अध्ययन करने के लिए नियुक्त किया (दिसम्बर 2003)। सलाहकार ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की (जनवरी 2005) जिसमें कम/मध्यम समय में किए जाने वाले कार्यों के लिए ₹ 11.13 करोड़ तथा दीर्घ अवधि में किए जाने वाले कार्यों के लिए ₹ 62 करोड़ की आवश्यकता प्रस्तावित थी। रिपोर्ट के आधार पर, कम्पनी ने मंत्रालय की अपनी कार्य योजना प्रस्तुत की (मार्च 2005) तथा मुख्यतः कार्यशील पूंजी की कमी, स्थानांतरण तथा कैशू प्रोसेसिंग यूनिट की क्षमता विस्तार करने के लिए ₹ 10.02 करोड़ की वित्तीय सहायता मांगी। मंत्रालय द्वारा सलाहकार की रिपोर्ट पर कोई अन्य कार्रवाई नहीं की गई।

कम्पनी ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (अगस्त 2012 तथा मार्च 2013)। मंत्रालय ने कम्पनी के उत्तर की पुष्टि की (जुलाई 2013)।

8.1.5.4 नार्थ ईस्टर्न काउंसिल द्वारा बिक्री अनुदान जारी न करना

नार्थ ईस्टर्न काउंसिल (एनईसी) के मामले पर, कम्पनी ने 1988 में नालकता, त्रिपुरा में एक फ्रूट जूस कंसंट्रेट प्लांट की स्थापना की। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के अनुसार, दुर्गम क्षेत्र तथा उत्पादन की अधिक लागत के कारण प्लांट केवल बिक्री अनुदान के एक तत्व के साथ आर्थिक रूप से व्यवहार्य था। प्लांट जून 1988 में प्रमाणित हुआ। तथापि, इसके आरम्भ से, यह एनईसी से बिक्री अनुदान न मिलने के कारण नुकसान में चल रही थी। जून 1999 में बीआईएफआर द्वारा पुनरुत्थान योजना स्वीकृत होने के पश्चात्, कम्पनी ने 1988-89 से 1992-93 के अवधि हेतु ₹ 4.41 करोड़ के बिक्री अनुदान हेतु एनईसी को अपने दावे प्रस्तुत किए जिन्हें एनईसी द्वारा 1998-99 में जारी किया गया। तत्पश्चात्, वित्तीय नकद हानियों की बजटीय सहायता के विस्तार हेतु बीआईएफआर के निर्देशों (जुलाई 2001) के अनुसार, कम्पनी ने एनईसी को प्रत्येक वर्ष बिक्री अनुदान जारी करने का अनुरोध किया। तथापि, एनईसी ने कहा (फरवरी 2009) कि कम्पनी को बिक्री अनुदान जारी करने के लिए बजट प्रावधान खत्म कर दिए गए थे। जैसाकि 1993-94 से 2008-09 की अवधि से संबंधित ₹ 8.66 करोड़ के दावों को 4 से

19 वर्षों की समाप्ति के पश्चात् भी एनईसी द्वारा जारी नहीं किया (सितम्बर 2013) गया था।

कम्पनी ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (अगस्त 2012 तथा मार्च 2013)। मंत्रालय ने उत्तर की पुष्टि की (जुलाई 2013)।

8.1.5.5 भारत सरकार से वित्तीय सहायता का अभाव

क्योंकि कम्पनी का कम पूँजी आधार था उसने प्राधिकृत शेयर पूँजी बढ़ाने, कार्यशील पूँजी सहायता तथा बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए निधि हेतु प्रशासनिक मंत्रालय को प्रस्ताव प्रस्तुत किए। उक्त प्रस्तावों पर लेखापरीक्षा अवलोकनों की नीचे चर्चा की गई है:

8.1.5.6 प्राधिकृत शेयर पूँजी में वृद्धि न होना

कम्पनी ने मंत्रालय को बाद में दत्त पूँजी बढ़ाने के लिए अपनी प्राधिकृत शेयर पूँजी में ₹ 10 करोड़ से ₹ 20 करोड़ की वृद्धि हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया (अगस्त 2008)। प्रस्ताव का उद्देश्य पूर्वोक्त क्षेत्र में विपणन अवसंरचना तथा प्रसंस्करण सुविधाएं निर्मित करने के लिए अपनी अल्पकालिक योजना को कार्यान्वित करना है। तथापि, मंत्रालय की स्वीकृति अभी तक प्रतीक्षित थी (सितम्बर 2013)।

8.1.5.7 कार्यशील पूँजी सहायता का अभाव

कम्पनी ने मंत्रालय के साथ किए वार्षिक समझौता ज्ञापन (एमओयू) में प्रतिबद्ध कारोबार के 20 प्रतिशत के बराबर इसकी आवश्यक कार्यशील पूँजी को प्रस्तावित किया। 2009-10 से 2012-13 के दौरान मंत्रालय द्वारा स्वीकृत राशि की तुलना में कंपनी द्वारा प्रस्तावित कार्यशील पूँजी का विवरण निम्नानुसार था:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कंपनी द्वारा प्रस्तावित कार्यशील पूँजी	मंत्रालय द्वारा स्वीकृत कार्यशील पूँजी	मंजूरी की तिथि	कार्यशील पूँजी का अभाव
2009-10	4.83	0.67	19.05.2009	2.83
		1.33	17.09.2009	
2010-11	5.07	2.00	15.09.2010	3.07
2011-12	5.33	2.00	23.08.2011	3.33
2012-13	5.59	2.00	10.09.2012	3.59

जैसाकि तालिका से देखा जा सकता है कि मंत्रालय द्वारा संस्वीकृत कार्यशील पूंजी कम्पनी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। हालांकि, मंत्रालय ने कम्पनी को विभिन्न स्रोतों के माध्यम से निधि बढ़ाने के लिए प्रयास करने के निर्देश दिए (अप्रैल 2006) थे तथापि, कम्पनी इस दिशा में कोई प्रयास करने में विफल रही। परिणामतः कम्पनी को सरकारी योजनाओं जहां कार्यशील पूंजी की कम राशि की आवश्यकता थी, के तहत किसानों को कृषिगत सामग्री की आपूर्ति की ओर अपना ध्यान स्थानांतरित करना पड़ा तथा इस प्रकार खरीद तथा विपणन के अनिवार्य कार्यों को कंपनी द्वारा कार्यशील पूंजी के अभाव में नहीं किया गया।

8.1.5.8 संग्रहण तथा खरीद केन्द्रों के लिए वित्तीय सहायता का अभाव

पूर्वांतर क्षेत्र के किसानों को कृषि-बागवानी उत्पादों के कोल्ड स्टोरेज, ग्रेडिंग तथा पैकिंग जैसी फसलोत्तर सुविधाएं प्रदान करने के विचार से, कम्पनी ने असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम तथा मेघालय राज्यों में ₹ 72 करोड़ की कुल लागत के नौ संग्रहण तथा खरीद केन्द्र स्थापित करने हेतु प्रशासन मंत्रालय को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया (जुलाई 2008)। योजना आयोग ने पूर्वांतर क्षेत्रों हेतु 2008-09 के लिए बजट भाषण में वित्त मंत्री द्वारा घोषित ₹ 500 करोड़ के पैकेज के तहत इन केन्द्रों की स्थापना करने के लिए 'इन प्रिंसिपल' मंजूरी को स्वीकार किया (सितम्बर 2008)। तथापि, मंत्रालय से निधि प्रतीक्षित थी (सितम्बर 2013)।

कम्पनी ने पैरा 8.1.5.5 में वर्णित लेखापरीक्षा आपत्तियों के साथ सहमति व्यक्त की (अगस्त 2012 तथा मार्च 2013)। मंत्रालय ने उत्तर की पुष्टि की (जुलाई 2013)।

8.1.5.9 उत्पादों की खरीद, प्रसंस्करण तथा विपणन में कमियां

कम्पनी का प्रमुख उद्देश्य आगामी बिक्री हेतु उनके कृषि उद्यान उत्पादों के विपणन अधिशेष की खरीद द्वारा पूर्वांतर क्षेत्रों के किसानों को व्यापार सहायता प्रदान करना है। कम्पनी की वसूली तथा विपणन गतिविधियों पर लेखापरीक्षा अवलाकनों की चर्चा नीचे की गई है:

8.1.5.10 किसानों को बाजार सहायता उपलब्ध कराने में असमर्थता

पूर्वांतर क्षेत्रों के किसानों को उनके उत्पाद के लिए लाभकारी मूल्य प्राप्त करने में बाजार सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु, कम्पनी को किसानों से कृषि उद्यान

उत्पादों के विपणन अधिशेष की खरीद द्वारा ससांधित उत्पाद तथा व्यापारिक उत्पाद की बिक्री को बढ़ाने की आवश्यकता है। तथापि, कम्पनी ने निवेश की गई पूंजी के अभाव के कारण भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत किसानों को व्यापारिक उत्पाद/ससांधित उत्पाद की बिक्री से अपने फोकस को बीजों, उर्वरक आदि जैसी कृषिगत सामग्री की आपूर्ति पर स्थानांतरित किया। व्यापारिक/ससांधित उत्पादों की बिक्री तथा 2009-10 से 2012-13 के दौरान सरकारी सहायता योजनाओं के तहत बिक्री का विवरण नीचे तालिका में दर्शाए अनुसार था:

(₹ करोड़ में)

विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
कुल बिक्री (ए)	89.65	99.91	96.04	43.70
व्यापारिक/ससांधित उत्पादों की बिक्री (बी)	11.50	5.63	2.10	1.40
सरकारी योजनाओं के तहत बिक्री (सी)	78.15	94.28	93.94	42.30
(बी) से (ए) तक प्रतिशतता	12.83	5.64	2.19	3.20
(सी) से (ए) तक प्रतिशतता	87.17	94.36	97.81	96.80

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि कुल बिक्री में व्यापारिक तथा ससांधित उत्पादों की बिक्री की प्रतिशतता 2009-10 के दौरान 12.83 प्रतिशत कम स्तर से 2012-13 के दौरान 3.20 प्रतिशत मामूली स्तर तक घटी। इस प्रकार, कम्पनी ने धीरे-धीरे अपना फोकस कृषि उद्यान उत्पादों के विपणन तथा बिक्री से सरकारी योजनाओं के तहत कृषिगत सामग्री की आपूर्ति पर स्थानांतरित किया था जिससे मूल उद्देश्य विफल हुआ जिसके लिए इसे स्थापित किया गया था।

सरकारी योजनाओं के तहत बिक्री की मात्रा राज्य सरकारों से आदेश प्राप्त करने पर आधारित थी। इसीलिए, बिक्री राजस्व में तदनुसार भिन्नता होने की संभावना थी जैसाकि 2012-13 के दौरान बिक्री में अचानक गिरावट से देखा जा सकता है। इस प्रकार, कम्पनी को व्यापारिक उत्पादों की बिक्री के पोर्टफोलियो पर अधिक ध्यान देने तथा किसानों को बाजार सहायता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए कम्पनी ने कहा (अगस्त 2012) कि कृषि-उद्यान उत्पादों की खरीद तथा विपणन हेतु आवश्यक अधिक निवेश पूंजी के अभाव में,

इसने मुख्य रूप से केन्द्रीय योजनाओं के तहत राज्य सरकारों के साथ व्यापार पर ध्यान केन्द्रित किया। मंत्रालय ने उत्तर की पुष्टि की (जुलाई 2013)।

8.1.5.11 पाइनेपल जूस कंसन्ट्रेट प्लांट का उन्नयन न होना

कम्पनी ने ₹ 3.60 करोड़ की लागत पर 48 एमटी प्रतिदिन की संस्थापित क्षमता के साथ नलकाता, त्रिपुरा में पाइनेपल जूस कंसन्ट्रेट (पीजेसी) प्लांट स्थापित (1988) किया। प्लांट कम क्षमता उपयोग, उच्च फ्रूट-टू-जूस कंसन्ट्रेट अनुपात के परिणामस्वरूप कम उपज आदि के कारण प्रारंभ से ही हानि उठा रहा था। कंपनी ने हानि को कम करने तथा वर्ष 2010-11 तक इसका प्रचालन जारी रखने के लिए प्लांट के उन्नयन हेतु कोई कार्रवाई प्रारंभ नहीं की। मई 2011 में, कंपनी ने जब तक कि प्लांट के पुनर्गठन को प्रारंभ किया जाता है तथा पूर्ण किया जाता है तब तक पीजेसी उत्पादन न करने का निर्णय लिया। तदनुसार, जून 2011 से प्लांट प्रचालित नहीं है। कंपनी द्वारा प्लांट के आधुनिकीकरण तथा पुनर्गठन हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को त्रिपुरा सरकार को प्रस्तुत किया गया (मई 2013) जो उसके विचाराधीन है।

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि पीजेसी का उत्पादन वर्ष 2010-11 तक इस तथ्य के बावजूद भी जारी रहा कि प्लांट बहुत पुराना हो गया था तथा कम क्षमता उपयोग तथा कम उपज के कारण निरन्तर हानि उठा रहा था। प्लांट के उन्नयन न होने तथा इसे बंद करने के निर्णय में विलम्ब के परिणामस्वरूप 2002-03 से 2010-11 की समयावधि के दौरान ₹ 3.71 करोड़ की परिहार्य हानि हुई। प्लांट बन्द करने के पश्चात् भी, कम्पनी ने प्लांट में कार्यरत अस्थायी श्रमिकों की सेवाओं को न तो प्रतिबंधित किया न ही सभी श्रमिकों को अन्य प्लांट/कार्यालयों में स्थानांतरित किया जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2011-12 तथा 2012-13 के दौरान ₹ 79.16 लाख की व्यर्थ मजदूरी तथा वेतन का भुगतान हुआ।

कंपनी ने कहा (अगस्त 2012) कि पीजेसी का उत्पादन 2009-10 तथा 2010-11 के दौरान बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मंजूरी के आधार पर किया गया जिससे यह भी सूचना मिली कि उत्पादन के परिणामस्वरूप हानि होगी। मंत्रालय ने उत्तर की पुष्टि की (जुलाई 2013)।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि प्लांट के उन्नयन तथा व्यर्थ मजदूरी तथा वेतन के भुगतान के बिना हानि के बावजूद उत्पादन की निरंतरता के कारण केवल संचित हानियां जारी रही।

8.1.5.12 प्रभावी विपणन ढांचे का अभाव

कम्पनी के पास अपने विपणन प्रचालन को एक व्यवस्थित रूप में करने के लिए आवश्यक परिचालन ढांचा नहीं था जैसाकि नीचे चर्चा की गई है:

- कम्पनी के पास अपने व्यापारिक तथा विपणन कार्यों को करने के लिए नीतियों तथा प्रक्रियाओं के वर्णन वाली कोई विपणन नियमपुस्तिका नहीं थी।

कंपनी ने अनुपालन हेतु लेखापरीक्षा आपत्तियों पर ध्यान दिया (अगस्त 2012)।
मंत्रालय ने उत्तर की पुष्टि की (जुलाई 2013)।

- संघ तथा कॉरपोरेट योजना के इस ज्ञापन के अनुसार, कम्पनी को बाजार आसूचना नेटवर्क का विकास करने की आवश्यकता थी जो मांग-आपूर्ति, प्रचलित बाजार कीमत आदि से संबंधित बाजार जानकारी के संग्रहण तथा प्रसार में सहयोग देगा। तथापि, कम्पनी ने किसी बाजार आसूचना प्रणाली की स्थापना नहीं की।

लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार करते हुए, कंपनी ने कहा (अगस्त 2012) कि वह प्रशासनिक मंत्रालय से स्वीकृति के अभाव के कारण महाप्रबंधक (विपणन), विपणन प्रबंधक आदि जैसे महत्वपूर्ण पदों को भरने में असमर्थ थी। इसके अलावा कंपनी ने कहा (सितम्बर 2013) कि वे सभी अधिकारियों को बाजार सर्वेक्षण तथा आसूचना में लगाने के लिए प्रयास कर रहे थे।

निष्कर्ष

कम्पनी ने आवश्यक निवेश पूंजी तथा कम क्षमता उपयोग के कारण हुई नकद हानि को पूरा करने के लिए पूंजीगत व्यय हेतु पुनः प्रवर्तन योजना के तहत प्राप्त निधि का विपथन किया। कम्पनी के बदलाव हेतु सलाहकार की रिपोर्ट (जनवरी 2005) ने ₹ 73.30 करोड़ के सम्मिश्रण को प्रस्तावित किया तथा कम्पनी ने अपनी कार्यवाही योजना प्रस्तुत की परन्तु मंत्रालय द्वारा (जुलाई 2013) कोई अन्य कार्रवाई नहीं की गई। पूर्वोत्तर परिषद ने भी 1993-94 से 2008-09 की अवधि से संबंधित ₹ 8.66 करोड़ के बिक्री आर्थिक सहायता दावों को निर्मुक्त नहीं किया (सितम्बर 2013)। इसके अलावा, प्राधिकृत शेयर पूंजी की बढ़ोतरी न होने के रूप में भारत सरकार से वित्तीय सहायता का अभाव था तथा निवेशित पूंजी की स्वीकृति में कमी थी। भारत सरकार ने 2008-09 में

योजना आयोग द्वारा 'इन प्रिंसिपल' मंजूरी देने के बावजूद संग्रहण तथा खरीद केन्द्रों की स्थापना के लिए ₹ 72 करोड़ जारी नहीं किए। कार्यशील पूंजी सहायता के अभाव के कारण, कम्पनी ने संसाधित कृषि-बागवानी उत्पादों की बिक्री से अपना ध्यान इन क्षेत्रों में किसानों को कृषिगत सामग्री की आपूर्ति पर स्थानांतरित किया। इस प्रकार, कम्पनी इन क्षेत्रों में किसानों को बाजार सहायता उपलब्ध कराने के अपने मुख्य उद्देश्य को प्राप्त करने में असमर्थ थी।

सिफारिशें

उक्त लेखापरीक्षा निष्कर्षों को देखते हुए, यह परामर्श दिया जाता है कि मंत्रालय निम्न पर विचार कर सकता है:

- कम्पनी की ऑपरेटिंग प्रदर्शन की समीक्षा करना तथा अपने प्रचालनों को आत्म स्थायी बनाने के लिए लंबित मुद्दों को निपटाने हेतु उपचारात्मक उपाय करना।
- अनुत्पादक व्यय को कम करने के लिए घाटे में चल रहे प्लांटों का पुनर्निर्माण करना/योजना बनाना।